मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 31.07.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 49 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विषेश न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 49 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 08.09.2018 को थाना को0शहर पर वादिनी नीलम वर्मा पत्नी सुनील वर्मा निवासिनी कृष्णा अपार्टमेन्ट महमुरगंज थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने व इलाज के दौरान गोपाल कृष्ण की मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-310/2018 धारा 304,328,418,380,411 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0शहर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी राजेश कुमार यादव, विवेचक- निरीक्षक अरूण कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर- उप निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी व आरक्षी विनोद कुमार गौस्वामी तथा पैरोकार- आरक्षी गणेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विषेश न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट- ऋचा जोशी, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त टोनी सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र गोरा सिंह निवासी चन्द्र विहार थाना निहाल बिहार, नई दिल्ली को अन्तर्गत धारा 304,328,418,380,411

भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 49 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

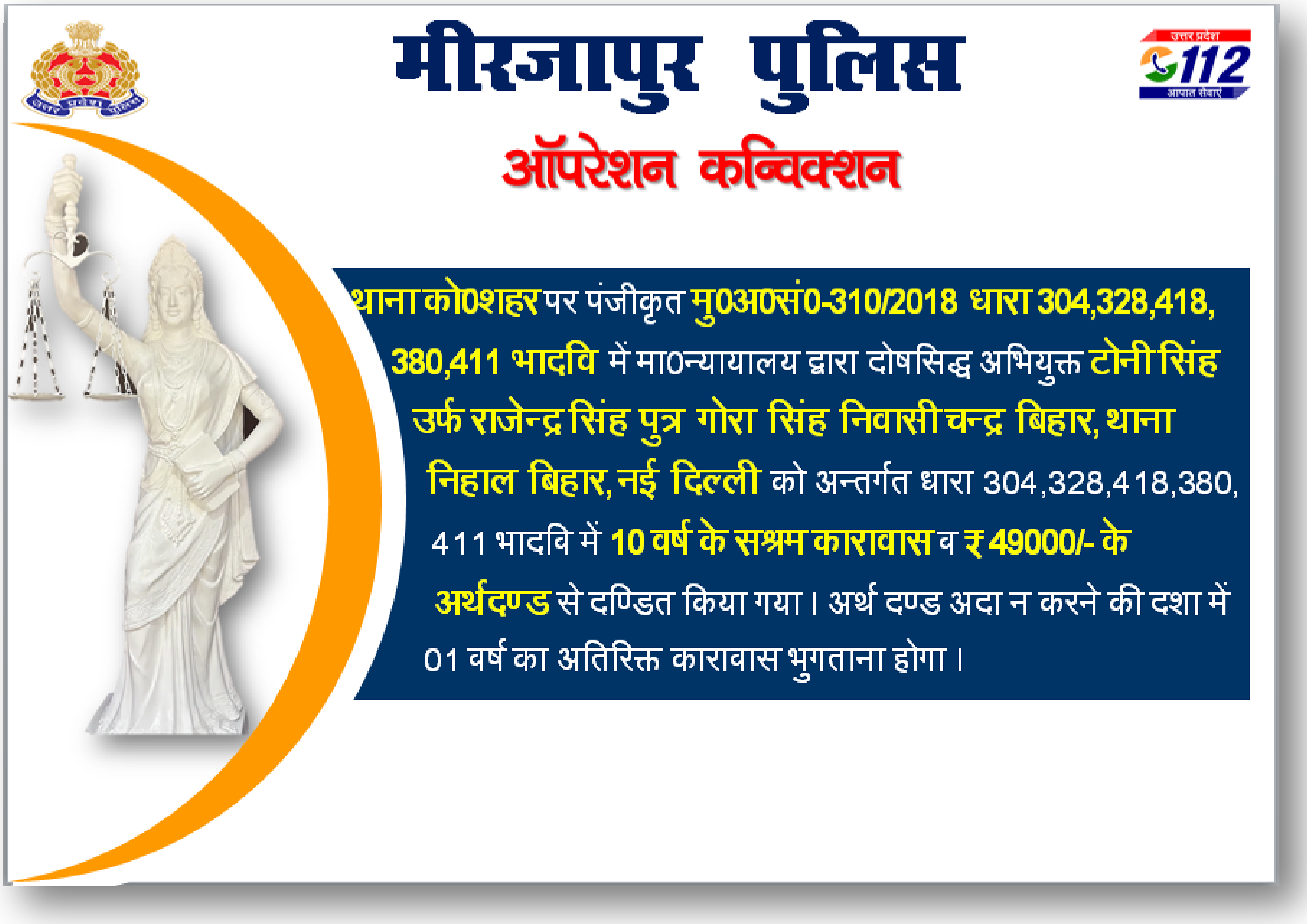

****